राजस्व अपील संख्या 545 / 2022

अनवान

किशनलाल वगैराह बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी

दिनांक 07—10—2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी जिला बाड़मेंर के द्वारा मुकदमा संख्या 89 / 2022 अनवान राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी बनाम भीखाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2022 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी जिला बाडमेंर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 30.06.2022 के क्रम मे प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार, सिणधरी उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे मौका जॉच करे और मौका नक्शा, मौका फर्द तैयार कर उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी उक्तानुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट / मौका नक्शा तथा पक्षकाऱान की विधिवत सुनवाई पश्चात प्रकरण का निस्तारण करें। यदि आवश्यक हो तो पुनः निर्णय पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर